प्रेस नोट
दिनांक – 28.11.2025
जनपद – गोण्डा

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा मिशन शक्ति 5.0 के अंतर्गत महिला थाना गोण्डा में स्थापित मिशन शक्ति केन्द्र के जीर्णोद्धार कार्य का लोकार्पण किया गया-

आज दिनांक 28.11.2025 को मिशन शक्ति 5.0 के तहत महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा महिला थाना गोण्डा में स्थापित मिशन शक्ति केन्द्र के जीर्णोद्धार कार्य का फीता काटकर लोकार्पण किया गया। नव-सुव्यवस्थित मिशन शक्ति केन्द्र को आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया गया है। केन्द्र में कम्प्यूटर सिस्टम, आरामदायक बैठने की व्यवस्था है तथा केन्द्र में प्रशिक्षित महिला कर्मी परामर्श एवं सहायता हेतु नियुक्त किया गया है, ताकि पीड़ित महिलाओं को कानूनी परामर्श, मनोसामाजिक सहायता एवं आवश्यक मार्गदर्शन सहज रूप से प्राप्त हो सके। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा केन्द्र में रखे गए मिशन शक्ति रजिस्टर का अवलोकन कर कार्यप्रणाली की समीक्षा की गई तथा संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए। उन्होंने कहा कि "मिशन शक्ति केन्द्र महिलाओं की सुरक्षा एवं अधिकारों की रक्षा का सशक्त माध्यम है। यह केन्द्र शिकायतों के त्वरित एवं पारदर्शी निस्तारण, पीड़ित-अनुकूल माहौल और संवेदनशील पुलिसिंग की दिशा में पुलिस विभाग की प्रतिबद्धता का प्रतीक है।"
महोदय ने निर्देशित किया कि
• महिलाओं से संबंधित प्रत्येक मामले में सहानुभूति, तत्परता एवं संवेदनशीलता को प्राथमिकता दें।
• शिकायतों का समुचित रिकॉर्ड संधारित कर सभी प्रकरणों में पूर्ण गोपनीयता सुनिश्चित करें।
• केन्द्र पर आने वाली प्रत्येक पीड़िता को आवश्यक सहयोग, मार्गदर्शन एवं त्वरित सहायता उपलब्ध कराना सर्वोच्च प्राथमिकता हो।
मिशन शक्ति 5.0 के उद्देश्यों को रेखांकित करते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय ने कहा कि यह पहल महिला सशक्तिकरण, सुरक्षा जागरुकता और समाज में सम्मानजनक वातावरण निर्माण की दिशा में पुलिस प्रशासन का महत्वपूर्ण प्रयास है। कार्यक्रम के अन्त में पुलिस अधीक्षक श्री विनीत जायसवाल व अन्य अधिकारियों द्वारा परिसर में वृक्षारोपण भी किया गया। इस दौरान पर्यावरण संरक्षण के महत्व पर प्रकाश डालते हुए महोदय ने कहा कि हरित परिसर सुरक्षित समाज की पहचान है। अधिकारियों व कर्मचारियों को अधिकाधिक पौधे लगाने व उनके संरक्षण हेतु प्रेरित किया गया। वृक्षारोपण के माध्यम से स्वच्छ पर्यावरण, हरित वातावरण और स्वस्थ समाज के निर्माण का संदेश दिया गया। साथ ही सभी उपस्थितजनों से पौधों को नियमित रूप से सींचने, संरक्षित रखने एवं पर्यावरण जागरूकता बढ़ाने का आह्वान किया गया

इस अवसर पर अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत, अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय, क्षेत्राधिकारी सदर/लाइन सुश्री शिल्पा वर्मा, प्रभारी निरीक्षक महिला थाना सहित अन्य अधिकारी एवं कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 28.11.2025

पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा चलाये गए विशेष अभियान के तहत 38 नफर गैर जमानतीय वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तारः-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल के निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में वांछित व गैर-जमानती वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु कल दिनांक 27.11.2025 को विशेष अभियान चलाया गया। इस अभियान को सफल बनाने हेतु पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा जनपद के समस्त राजपत्रित पुलिस अधिकारी व प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को निर्देशित किया गया कि वे अपने-अपने थाना क्षेत्रों में लंबित गैर-जमानती वारंटियों एवं वांछित अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित करें।
उक्त अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत व अपर पुलिस अधीक्षक (पश्चिमी) श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण में तथा क्षेत्राधिकारियों के नेतृत्व में थाना स्तर पर टीमों का गठन कर कार्यवाही की गई। इस विशेष अभियान के अंतर्गत जनपद के विभिन्न थानों की पुलिस टीमों द्वारा कुल 38 गैर-जमानती वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। थाना-वार गिरफ्तारी का विवरण निम्नानुसार है- थाना नवाबगंज पुलिस ने 08, थाना मनकापुर पुलिस ने 06, थाना परसपुर पुलिस ने 05, थाना खरगूपुर पुलिस ने 04, थाना को0 नगर पुलिस ने 01, थाना तरबगंज पुलिस ने 02, थाना को0 देहात पुलिस ने 02, थाना को0 कर्नलगंज पुलिस ने 01, थाना इटियाथोक पुलिस ने 01 वारण्टी, थाना मोतीगंज पुलिस ने 01 वारण्टी, थाना धानेपुर पुलिस ने 02 वारण्टी, थाना उमरी बेगमगंज पुलिस ने 01 वारण्टी, थाना वजीरगंज पुलिस ने 01 वारण्टी, थाना खोड़ारे पुलिस ने 02 वारण्टी, थाना कौड़िया पुलिस ने 01 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 28.11.2025

यातायात माह के अन्तर्गत गोण्डा पुलिस द्वारा कस्तूरबा गांधी विद्यालय गोण्डा में व्यापक यातायात जागरूकता कार्यक्रम आयोजित-

गोण्डा। पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल के निर्देशन में यातायात माह-नम्बर 2025 के अंतर्गत जनपद में सड़क सुरक्षा एवं यातायात नियमों के पालन हेतु निरंतर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में आज दिनांक 28.11.2025 को प्रभारी यातायात श्री जगदंबा गुप्ता, टीएसआई श्री राकेश कुमार द्वारा कस्तूरबा गांधी विद्यालय गोण्डा एक विशेष यातायात जागरूकता गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित अधिकारीगण द्वारा कॉलेज की छात्राओं को सड़क सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई। छात्रों को यातायात संकेतों की पहचान, हेलमेट एवं सीटबेल्ट के अनिवार्य उपयोग, ओवरस्पीडिंग और ओवरलोडिंग के दुष्परिणाम, मोबाइल फोन का वाहन चलाते समय प्रयोग न करने तथा पैदल चलते समय सड़क सुरक्षा के मानकों के बारे में जागरूक किया गया। कार्यक्रम के दौरान अधिकारियों द्वारा छात्रों से सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करने एवं अपने परिवार तथा समाज के अन्य लोगों को भी इसके प्रति जागरूक करने की अपील की गयी साथ ही बताया गया कि अधिकांश सड़क दुर्घटनाएँ नियमों की अनदेखी के कारण होती हैं, जिन्हें केवल सतर्कता और नियमों के पालन से रोका जा सकता है। यातायात माह के दौरान गोण्डा पुलिस द्वारा विद्यालयों, महाविद्यालयों एवं जनसमुदाय के बीच इसी प्रकार के जन-जागरूकता कार्यक्रम आगे भी निरंतर रूप से आयोजित किए जाते रहेंगे, जिससे जनपद में सुरक्षित एवं अनुशासित यातायात व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके।

महत्वपूर्ण संदेश-

01. वाहन चलाते समय मोबाइल फोन अथवा इयरफोन का प्रयोग न करें।
02. नाबालिग बच्चों द्वारा वाहन चलाना पूर्णतः वर्जित है।
03. दोपहिया वाहन चालक एवं पीछे बैठी सवारी दोनों को हेलमेट पहनना अनिवार्य है।
04. चारपहिया वाहनों में सीट बेल्ट का प्रयोग अनिवार्य है।
05. निर्धारित क्षमता से अधिक सवारियाँ बैठाना व निर्धारित गति सीमा से अधिक वाहन चलाना दण्डनीय अपराध है।
06. दायें-बायें मुड़ते समय इंडिकेटर का प्रयोग करें।
06. दोपहिया वाहन पर दो से अधिक सवारी न बैठाएं।
07. वाहन निर्धारित स्थान पर ही पार्क करें।
08. वाहनों के आगे एवं पीछे रिफ्लेक्टर टेप लगाना आवश्यक है।
09. एम्बुलेंस एवं फायर ब्रिगेड वाहनों को जाने हेतु पहले रास्ता प्रदान करें।
10. नशे अथवा मादक पदार्थों का सेवन कर वाहन न चलाएं।
11. सड़क पर वाहन चलाते समय स्टंट न करें।
12. सड़क दुर्घटना की स्थिति में घायल व्यक्तियों की मदद करें एवं 112 डायल कर सूचना दें।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 28.11.2025

‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ के तहत प्रभावी पैरवी से दहेज मृत्यु के आरोपी अभियुक्त को हुई 10 वर्ष का सश्रम कारावास व रूपये 70,000/- के अर्थदण्ड की सजा-

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 03.11.2022 को थाना खरगूपुर क्षेत्रान्तर्गत दहेज के लिए प्रताड़ित करते हुए जान से मार देने की सूचना पर थाना खरगूपुर में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत हुआ था। जिसमें खरगूपुर पुलिस द्वारा अभियुक्त मायाराम पुत्र राधेश्याम नि0 मल्लापुर बराराय थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। थाना स्थानीय पर तत्कालीन विवेचक द्वारा साक्ष्य संकलन व विवेचनात्मक कार्यवाही के उपरान्त अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र दिनांक 27.07.2017 को माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया।

दोषसिद्धि का विवरण-

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ महोदय के आदेश के क्रम एवं श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा के निर्देशन में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरूद्ध माननीय न्यायालय द्वारा अधिकतम/त्वरित दंडात्मक कार्यवाही हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है। जिसके क्रम में आज दिनांक 28.11.2025 को थाना खरगूपुर में पंजीकृत दहेज मृत्यु सम्बन्धी अपराध में अभियोजक श्री ओमप्रकाश शुक्ला, थाना खरगूपुर के पैरोकार कां0 वासुदेव कुमार व कोर्ट मोहर्रिर हे0कां0 शिवपाल सिंह के द्वारा की द्वारा गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय पीठासीन अधिकारी(ASJ) श्री राजेश कुमार -3 द्वारा अभियुक्त- मायाराम पुत्र राधेश्याम नि0 मल्लापुर बराराय थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा को दोषसिद्ध करते हुए को 10 वर्ष सश्रम कारावास व रू0 70,000/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

अभियुक्त का नाम पता-

01. मायाराम पुत्र राधेश्याम नि0 मल्लापुर बराराय थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा ।

अभियोग का विवरण-

01. मु0अ0सं0-326/2022 धारा 498ए, 304बी, 316 भादवि 3/4 डी0पी0 एक्ट थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा ।

मीडिया सेल, गोण्डा।